

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-क

संख्या:- पी0बी0डब्ल्यू0-ए-ए (3)3/2009 तारीख शिमला-2 29th सितम्बर, 2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में, अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

- 2 (1) अधिसूचना संख्या लो0नि0ए-ए 3-3/95 तारीख 30 अप्रैल, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I , राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन सं०: पी०बी०डब्ल्यू०-ए-ए (३)३/२००९ तारीख शिमला-२^{२९} सितम्बर, २०१२

प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- १ समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२ ।
- २ सचिव, हि०प्र० लोक सेवा आयोग, शिमला-२ ।
- ३ प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य, शिमला ।
- ४ समस्त मुख्य अभियन्ता, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग ।
- ५ समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हि०प्र० ।
- ६ नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग, हि०प्र०, शिमला-५, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
- ७ सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- ८ अतिरिक्त प्रतियां-२५० ।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), वर्ग- I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नाम :	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)
2	पदों की संख्या :	08 (आठ)
3	वर्गीकरण :	वर्ग- I (राजपत्रित)
4	वेतनमान :	पे बैंड रुपए 15600-39100/- जमा रुपए 7600/-. ग्रेड पे ।
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं ।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	(क) अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं । (ख) वांछनीय अर्हता : लागू नहीं ।
8	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमेन्ट आधार पर ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में ग्रेड, जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया	(i) सत्तर प्रतिशत डिग्री धारक सहायक अभियन्ताओं (विद्युत) में से प्रोन्नति

	<p>जाएगा :</p>	<p>द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और विपर्यमेन द्वारा ।</p> <p>(ii) तीस प्रतिशत डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ताओं (विद्युत) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर डिग्री धारक सहायक अभियन्ताओं (विद्युत) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष</p>
--	----------------	---

	<p>का नियमित सेवाकाल हो और विपर्यमेन द्वारा ।</p> <p>ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों /हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैन्ट आधार पर :</p> <p>प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-</p> <p>पहला पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>दूसरा पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>तीसरा पद : डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता</p> <p>चौथा पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>पांचवा पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>छठा पद : डिप्लोमा धारक सहायक अभियन्ता</p> <p>सातवां पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>आठवां पद : (स्नातक ग्रेजुएट) अधिशाली अभियन्ता</p> <p>नौवां पद : डिप्लोमा धारक सहायक</p>
--	--

	<p>अभियन्ता दसवां पद : (स्नातक ग्रेजुएट) सहायक अभियन्ता</p> <p>टिप्पण :- यह रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात् दोहराया जाएगा । यदि अन्यथा पात्र है, तो पद उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है ।</p>
	<p>परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :</p> <p>परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :</p> <p>परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।</p> <p>स्पष्टीकरण-I :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।</p> <p>स्पष्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और गाम पंचायत काशापाट । 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के कठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्वोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के समस्त मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी, ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे दि डिमोबीलाइज्ड आर्मर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज

	<p>इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।</p> <p>(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :</p> <p>परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।</p>	
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं ।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं ।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा :	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या (पदों) बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
----	-----------------------	--

(93)

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION
NO. PBW-A-A(3)-3/2009 dated _____ AS REQUIRED UNDER
CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Department of Public Works

Section—'A'

No. PBW-A-A(3)-3/2009 . Dated, Shimla-2

29th September, 2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Executive Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), in the Department of Public Works, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification namely :-

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---|
| Short title and commencement | (1) (1) | These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Executive Engineer (Electrical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012. |
| | (2) | These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh. |
| Repeal & Savings | (2) (1) | The Himachal Pradesh Public Works Department Executive Engineer (Electrical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide notification No. PBW-A-A(3)-3/95 dated 30 th April, 1997. |
| | (2) | Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules. |

By Order

Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. PBW-A-A(3)-3/2009. Dated, Shimla-2 ^{29th} September, 2012

(94)

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1 All Administrative Secretaries, HP Government, Shimla-2.
- 2 The Secretary, HP Public Service Commission, Shimla-2.
- 3 The Engineer-in-Chief, HPPWD/IPH, Shimla
- 4 All the Chief Engineers, HPPWD.
- 5 All the Superintending Engineers, HPPWD.
- 6 The Controller, Printing and Stationery, HP Government Press, Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra (extra ordinary). He is requested to supply 25 copies of the Rajpatra to this Department.
- 7 ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of HP, Shimla-2.
- 8 250 spare copies.

Under Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

95

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF EXECUTIVE ENGINEER (ELECTRICAL), (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of post	Executive Engineer(Electrical)
2.	Number of posts	08 (Eight)
3.	Classification	Class-I Gazetted
4.	Scale of Pay	Pay Band 15600-39100+ 7600/- (Grade Pay)
5.	Whether selection post or non-selection post	Selection
6.	Age for direct recruitment	Not applicable
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case fo the promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods	100% by promotion failing which by on secondment basis.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made	(i) 70% by promotion from amongst the Degree Holder Assistant Engineer(Electrical) with 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineers with 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice versa. (ii) 30% by promotion from amongst the Diploma Holder Assistant Engineers (Electrical) with 05 years

regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from the amongst the Degree Holder Assistant Engineers (Electrical) with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade and vice versa.

Failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Govt. Deptt./HPSEB.

For the purpose of promotion, the following 10 points roster shall be followed:-

1 st post	Graduate A.E.
2 nd post	Graduate A.E.
3 rd post	Diploma A.E.
4 th post	Graduate A.E.
5 th post	Graduate A.E.
6 th post	Diploma A.E.
7 th post	Graduate A.E.
8 th post	Graduate A.E.
9 th post	Diploma A.E.
10 th post	Graduate A.E.

Note: This roster shall be repeated after every 10th point. The point shall be filled up by the category which vacates the point, if otherwise eligible.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:-

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employee who have five years or less service, left for superannuation,

Provided further that Officer/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:- For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

97

Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal /Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhagal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Dorga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circles of Shillai tehsil in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi , Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehr Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and Sought Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provision of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given

	<p>the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.</p> <p>(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.</p> <p>Provided that Inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.</p>	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment	Not applicable
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18.	Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s)

Government of Himachal Pradesh
Department of Public Works

No. PBW-A-A(3)-3/2009

Dated, Shimla-2 30th Sept, 2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Executive Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), in the Department of Public Works, Himachal Pradesh namely :-

1. Short title and commencement	1. (I)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Executive Engineer (Electrical) Class-I (Gazetted), (1 st amendment Recruitment and Promotion Rules, 2013.
	(II)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendments in Column No.11 to Annexure with Notification No. PBW-A-A(3)-3/2009 dated 29 th September, 2012	11 (i) and (ii)	For the "05 years" service as Assistant Engineer(Electrical) shall be substituted to "08 years" in respect of Degree Holders and Diploma Holders Assistant Engineers.

By Order

Narinder Chauhan

Principal Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

Dated, 30th September, 2013

Endst. No. PBW-A-A(3)-3/2009

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administrative Secretaries, HP Government, Shimla-2.
2. The Secretary, HP Public Service Commission, Shimla-2.
3. The Engineer-in-Chief, HPPWD.
4. All the Chief Engineers / Superintending Engineer, HPPWD.
5. The Controller, Printing and Stationery, HP Government Press, Shimla-5 for publication in the H.P. Rajpatra (extra ordinary).
6. 250 spare copies.

(P.R. Negi)

Under Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.